

—::—छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन—::—

प्रधान कार्यालय,एन-3 अवंति विहार, रायपुर

क्रमांक/छगवेका/तक0-प्रदाय/2012-13/ 5420 रायपुर,दिनांक- 24.05.12

निविदा सूचना (वित्तिय)

छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम के गोदामों में उपयोग हेतु एल्युमिनियम फास्फाईड की आवश्यकता है। इस बाबत लाईसेंस प्राप्त निर्माताओं एवं उनके अधिकृत विक्रेताओं से निविदा दरें सील बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है।

क्र०	दवाई का नाम	अनुमानित आवश्यकता	निविदा फार्म की राशि	निविदा फार्म जारी करने की तिथि	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने का दि०/समय	अमानती राशि	स्पेसीफि केशन
01	एल्युमिनियम फास्फाईड (सेल्फास)	10000 किलो ग्राम	1000/	दिनांक 25.05.2012 से 02.06.12 शाम 5.00 बजे तक	दिनांक 05.06.2012 शाम 03.00 बजे तक	दिनांक 05.06.2012 शाम 04.00 बजे	25000	IS 6438-1980 (अद्यतन संशोधन सहित)

निविदा की शर्तें :-

1. निविदा फार्म राशि 1000/- जमाकर छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय एन-3, अवंति विहार, रायपुर से दिनांक 02.06.2012 तक प्रतिदिवस कार्यालयीन समय 11.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र निगम की वेब साइट www.cgswc.cg.gov.in के टेण्डर लिंक से डाउनलोड कर इच्छुक फर्म अपने लेटर पैड में निर्धारित प्रोफार्मा में निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदा प्रपत्र की कीमत रुपये 1000.00 एवं अमानती राशि की डी०डी० पृथक, पृथक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
2. निविदा निगम द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में निविदाकार के लेटर पैड में स्वीकार की जावेगी। निविदा तीन लिफाफों में जमा की जावेगी।
 - (अ) लिफाफा "अ" में अमानती राशि निर्धारित प्रारूप के साथ जमा करना होगा।
 - (ब) लिफाफा "ब" (टेक्निकल बिड) में वांछित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां रख कर सील करना होगा। इसमें निविदा की शर्तों की सहमति बाबत निविदा फार्म हस्ताक्षर सहित संलग्न रहेगा।
 - (स) लिफाफा "स" में एल्युमिनियम फास्फाईड हेतु दर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।

उपरोक्त तीनों लिफाफे एक अन्य लिफाफे में रख कर एवं सील कर जमा करना अनिवार्य होगा, जिस पर निविदा क्रमांक, एल्युमिनियम फास्फाईड हेतु निविदा, प्रबंध संचालक छ.ग.स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, एन-3, अवंतिविहार, तेलीबांधा रायपुर, 492006 (छत्तीसगढ़) एवं प्रेषक - निविदाकार का नाम एवं पता तथा संपर्क दूरभाष नंबर का लेख किया जाना होगा।

3. अमानती राशि प्रबंध संचालक छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन रायपुर के पक्ष में पेयबल एट रायपुर का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंकर्स चेक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित प्रारूप सहित, लिफाफा "अ" के ऊपर "एल्यूमीनियम फास्फाईड हेतु निविदा" व अमानत राशि जमा का विवरण लिखना अनिवार्य होगा।
4. निविदा निगम कार्यालय में दिनांक 05.06.2012 शाम 03.00 बजे तक जमा किया जा सकता है। पंजीकृत/रजिस्टर्ड डाक से भी उपरोक्त तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदा स्वीकार की जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. निविदा खोला जाना – प्राप्त निविदाएं क्रय समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदाएं खोलते समय प्रदायकर्ता अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधी भी उपस्थित रह सकते हैं।
- अ. निविदा निर्धारित दिनांक 05.06.2012 समय शाम 04.00 बजे निगम मुख्यालय एन-3, अवंति विहार, तेलीबांधा रायपुर में खोला जावेगा।
- ब. सर्वप्रथम अमानती राशि का लिफाफा खोला जावेगा उसके उपरांत टेक्निकल बिड एवं फाईनेंशियल बिड के लिफाफे खोले जायेंगे।
6. निविदा कीटनाशक दवाई एन्यूमिनियम फास्फाईड (सेल्फास) के पंजीकृत निर्माता के ही स्वीकार किये जावेंगे। एक ही कम्पनी के एक से अधिक निविदा मान्य नहीं होगी।
7. कीटनाशक दवाई, आई0एस0आई0 मार्का का होना चाहिए जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के शर्तों को पूरा करता हो।
8. निविदाकार के पास कीटनाशक दवाई उत्पादन एवं विक्रय का जीवित बैद्य पंजीयन एवं लाईसेंस होना चाहिए। तदानुसार प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जावे।
9. निविदाकार जिनके पास (Valid) आई0एस0ओ0 का प्रमाण पत्र हो प्राथमिकता दी जावेगी।
10. निविदाकार ने यदि गत तीन वर्षों में राज्य भण्डारगृह निगम, सेन्ट्रल वेयरहाउस या भारतीय खाद्य निगम में कीटनाशक दवाई प्रदाय की हो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें।
11. निविदाकर्ता के पास वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन होना अनिवार्य है, साथ ही वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न की जावे।
12. निम्नतम दर देने वाले निविदाकर्ता को ही निगोसियेशन हेतु बुलाया जावेगा।
13. निविदाकार का आयकर में पंजीयन होना अनिवार्य है, संस्था पर बकाया नहीं है। इस आशय का आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किये जावें।
14. उक्त कीटनाशक दवाई की निविदा दर सभी कर तथा पहुंच (एफ ओ आर) रायपुर सहित होगी। (सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।)
15. निविदा सूचना में दर्शाई गई मात्रा अनुमानित है। मात्रा में कमी/अधिकता आवश्यकतानुसार की जा सकती है।
16. निविदाकर्ता को गत 03 वर्षों की बैलेन्सशीट एवं आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा।
17. किसी शासकीय संस्थान (FCI/CWC/SWC/अन्य) के द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है है कि नहीं निविदाकर्ता द्वारा इस संबंध में स्वयं का प्रमाण पत्र देवें।

18. निविदाकर्ता को आदेश प्राप्त होने के 03 दिवस के भीतर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट निष्पादन करना होगा। तथा प्रदाय आदेश कि राशि का 05 प्रतिशत राशि सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा।
19. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
20. निगम द्वारा स्वीकृत निविदाकर्ता की प्रदाय अवधि निविदा खोलने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष तक प्रभावी रहेगी, उक्त अवधि में आवश्यकता पड़ने पर दो माह की वृद्धि प्रबंध संचालक के द्वारा की जा सकेगी, वृद्धि की गई अवधि में प्रदायकर्ता को निविदा शर्तों के अनुरूप सामग्री का प्रदाय करना होगा।
21. न्यायिक क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत विवादित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा एवं किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय क्षेत्र अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
22. निविदा फार्म विक्रय, जमा एवं खोलने की दिनांकों में अकस्मात अवकाश घोषित होने पर उसकी आगामी कार्य दिवस की जो दिनांक हो वही मानी जावेगी।
23. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
24. निविदा की विस्तृत जानकारी निगम की वेब साईट www.cgswc.cg.gov.in में देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है।
25. निविदा फार्म के संबंध में अन्य शर्तों की जानकारी हेतु कार्यालयीन समय में प्रबंधक तकनीकी, से सम्पर्क कर सकते हैं।
26. अन्य शर्तें जो समय-समय पर विहित की जावें।

समस्त संलग्नक दस्तावेजों की प्रतिलिपियां नोटरी के द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है।

प्रबंध संचालक

निविदाकर्ता का नाम –

(QUOTATION)

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन,
मुख्यालय, रायपुर।

विषय :- कीटनाशक दवाई सेल्फास हेतु दर देने बाबत।

संदर्भ :- आपकी निविदा क्रमांक दिनांक

01. हमारी संस्था की जानकारी इस प्रकार है।

- (1) संस्था का नाम –
- (2) स्थाई पता –
- (3) दूरभाष क्रमांक –
- (4) कीटनाशक दवाई, उत्पादन एवं विक्रय की जीवित वैद्यता लाईसेंस का विवरण –
- (5) आयकर पेन नं0 / वाणिज्य कर / TIN नं0 / पंजीयक नं0 –
- (6) भारतीय मानक ब्युरों का जीवित लाईसेंस क्रमांक –

02. विषयांतर्गत आपकी संदर्भित निविदा की शर्तों के तहत हमारी निविदा दरें (सभी कर सहित) निम्नानुसार है :-

क्र0	सामग्री का नाम	अनुमानित आवश्यकता	निविदा दर प्रति किलो ग्राम (Inclusive of all Taxes, Duties cost of packing, Handling & Insurance Charges etc. For Destination) शब्दों एवं अंकों में
1.	एल्युमिनियम फास्फाईड (सेल्फास)	10000 किग्रा0 (एक कि.ग्रा. पेकिंग)	

03. हमारे द्वारा परिशिष्ट – 1 में उल्लेखित निविदा की समस्त शर्तों (Specification, Terms & Condition) को पढ़ लिया गया है। हमें सभी शर्त मंजूर हैं। परिशिष्ट – 1 की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न है।

निविदाकर्ता के अधिकृत

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम

पता

फोन नं0

अमानत राशि जमा करने का फार्म

(लिफाफा "अ" हेतु)

निविदाकार संस्था का नाम –

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छ0ग0 राज्य भंडारगृह निगम,
एन-3, अवंति विहार,
मुख्यालय रायपुर ।

विषय :- एल्यूमीनियम फास्फाईड आपूर्ति हेतु निविदा के लिए ई0एम0डी0 जमा करने बाबत।

संदर्भ :- आपके निविदा क्रमांक

विषयांतर्गत आपकी संदर्भित निविदा हेतु हमारे द्वारा निविदा जमा की जा रही है।
निविदा हेतु अमानत राशि निम्नानुसार संलग्न है :-

क्र0	सामग्री का नाम	अमानत राशि	डी0डी0 क्रमांक / दिनांक	बैंक का नाम	राशि
1	एल्यूमीनियम फास्फाईड	25000 / -			

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

दिनांक

निविदाकर्ता / प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम

पता

फोन नं0.

संलग्न – 1 निगम द्वारा जारी निविदा के नियम एवं शर्त पर सहमति की हस्ताक्षरित प्रति।
निविदा की शर्तें

ANNEXEURE – I

NAME OF FIRMS -----

To,
The Managing Director,
Chhattisgarh State Warehousing Corporation
Head Office, N- 3, Avanti vihar, Raipur (C.G.)

Sub – Supply of 10000 KG Aluminium phosphide to C. G. State Warehousing Corporation.

Ref – Your tender notice No.----- Date-----

1.	DESCRIPTION OF STORES	ALUMINIUM PHOSPHIDE
2.	QUANTITY	10000 KG
3.	RATE	Rate per Kilogram (inclusive of all taxes) be quoted in the proforma of PRICE BID (Appendix III part II) in the required manners only . Rates quoted in Rupees on FOR destination by Road / Rail to CGSWC nominated destination at Raipur Chhattisgarh inclusive of packing and forwarding charges, insurance charges, handling charges all inclusive of CST, State Sales Tax, Excise duty (VAT and other local taxes if any).
4.	FORMULATION	Tablet of 3 gms each.

5.	SPECIFICATION	<p>a) Aluminum Phosphide tablets conforming to IS 6438-1980 with up to date amendments. The weight tolerance Limit for acceptance shall be as per BIS specification i.e. plus and minus 5% variation in the standard weight.</p> <p>b) Each tablet of 3 gms shall release 1 gm. of gaseous phosphine non-explosive and stable on exposure to atmosphere. It also shall release ammonia gas simultaneously.</p> <p>c) The product shall also be ISI marked and also shall be recent manufactured and not more than one month old at the time of offering for pre purchase Inspection.</p>
6.	INSPECTION AND DELIVERY SCHEDULE	<p>The Aluminium Phosphide should be offered for inspection and delivered as per the delivery schedule prescribed in the supply order to be placed on the basis of contract.</p> <p>The stores shall be offered with in 7 days from the date of issue of supply Order. Immediately after the offer of Aluminium Phosphide, the inspecting officers shall inspect the stores and draw samples so drawn shall conform to specifications laid down at Sr.No.6 under specification of schedule. The quantity so specified for delivery should be delivered to the designated consignee within 30 (Thirty) days from the date of Supply order. It will be at the discretion of the Corporation to either extend or postpone the date of instalments for offering stores for inspection.</p>

		<p>If stores conform to specifications, the supplier shall be permitted by the inspecting officers to dispatch the stores to the specified destination. Thereafter, dispatches shall be completed within 7(seven) days from the date of communication of acceptance by the inspecting officers to the supplier. The date of dispatch shall be treated as date of delivery. Dispatches shall be arranged in the presence of inspecting officer (s).</p>
7.	DELIVERY TERMS	<p>[i] Free door delivery to CGSWC nominated destination by Road / Rail transport. All expenses upto the point of delivery including road transport charges, transit insurance and all other incidental and handling expenses upto the point of delivery Including sales –tax, shall be on account of supplier.</p> <p>[ii] The goods shall be booked by road transport under clear transporter’s receipt and at contractor’s risk.</p> <p>[iii] Clear transporter’s receipt shall be obtained from transporter, and sent to consignee immediately by Regd. Post A.D. under intimation to this office and concerned Branch Manager’s to enable them to clear the consignment without incurring any demurrage / wharfage. In case of any shortage / breakage during transit necessary shortage certificate will be obtained from transport company by the consignees and will be forwarded</p>
8.	CONSIGNEE	<p>The particulars of consignees shall be intimated on the acceptance of tender and the successful tenderer shall consign the stores to the destination indicated therein ,which will be at RAIPUR in the State of CHHATTISGARH.</p>

9.	PACKING & MARKING	<p>Packing shall be as per IS: 9503-1988 with up to date amendments. The tablets shall be packed in leak proof, airtight seamless, extruded/Aluminium bottles/flask containing one kg. of chemicals consisting of not less than 334 tablets (Proportionate quantitative cut for the No. of tablets found short shall be made based on the average weight of the tablet).</p> <p>The container shall bear legible and indelibly, the following information as required under IS: 6438-1980 and the Insecticide Act and rules:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Name of the Material. b) Name of the manufacturer. c) Date of Manufacturing and Expiry. d) Batch No. e) Nett mass of the contents. f) Percentage of Aluminium Phosphide content. g) Minimum cautionary notice and warning as per Insecticides Act and Rules.
10.	PAYMENT	<p>[a] 100% Payment shall be released by this office after receipt of approved stores at the destination and submission of pre-receipt bills along with receipt certificate as proof of having delivered the stores at respective destination</p>

11.	SECURITY DEPOSIT	<p>[a] The successful tenders shall furnish within a week from date of supply order a Security Deposit calculated at 5% of the cost of stores ordered for purchase which shall be valid for a period of One year from the date of Supply of stores.</p> <p>[b] The Security Deposit will be refunded / released only after satisfactory execution of contract, on completion of One year from the date of supply of stores and on submission of “NO DUES CERTIFICATE” issued by the recipient office(s) of the Corporation. No Demand Certificate / pre-receipt in the supplier and after deducting all cost and other expenses that the Corporation may have incurred due to default of the supplier on any account and other losses / damages that the Corporation is entitled to recover from the supplier.</p>
12.	GUARANTEE	<p>The product shall be guaranteed against disintegration and the deterioration for a period of 2 years from the date of manufacturing.</p> <p>[a] The supplier shall give guarantee as per specification mentioned above. The stipulation of such warranty /guarantee shall be as provided in Clause VIII of General Condition of the contract.</p> <p>[b] Whenever the stores , on receipt are not found in accordance with the terms of the contract, consignee shall reject the same and the rejected stores shall be removed by the supplier within 14 days from the date of receipt of the intimation. The supplier shall offer the equivalent quantity within 24 days of receipt of intimation, of rejection to the inspecting officers. The rejected stores shall lie at the risk and cost of the supplier, if not removed within 14 days.</p>

13	Penalty	<p>The Penalty shall be imposed in following Cases :</p> <p>-</p> <p>i) In case of delay in supplying the material beyond 15 days from the permissible period, 1% of the total cost/ month shall be recovered as penalty by the purchaser and will not exceed 10% of the price of the ordered stores.</p> <p>ii) In case of disintegration of tablets prior to expiry period. The security deposit shall be forfeited.</p> <p>The penalty mentioned as above at (i) and (ii) shall be at the discretion of Managing Director to</p>
14	Arbitration	<p>All disputes shall be settled in jurisdiction of Raipur and decision of Managing Director in all matters shall be binding on suppliers and CGSWC.</p>

छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन मुख्यालय रायपुर

द्वितीय निविदा (एल्युमिनियम फास्फाईड)

निविदा सूचना क्रमांक/छगवेका/तक0/12-13/5420

रायपुर,दिनांक 24.05.2012

छ0ग0 स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा निम्नलिखित सामग्रियों के क्रय/आपूर्ति हेतु पृथक-पृथक निविदा दरें निर्धारित शर्तों पर लाईसेंस प्राप्त निर्माताओं से सील बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है।

कं0	सामग्री का नाम	अनु. आवश्यकता	स्पेशिफिकेशन
02	एल्युमिनियम फास्फाईड	10000 कि.ग्रा.	ISI 6438-1980 (अद्यतन संशोधन सहित)

निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि 02.06.12 है। निविदा प्राप्ति की तिथि 05.06.12 शाम 03.00 बजे तक। प्राप्त निविदा दिनांक 05.06.12 समय 04.00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र की कीमत 1000/- रुपये तथा अमानती राशि 25000/- निर्धारित की गई है। निविदा से संबंधित जानकारी, कार्यालयीन समय में प्रबंधक तकनीकी (दूरभाष 0771.4242509)से प्राप्त की जा सकेगी। निविदा की जानकारी निगम की वेबसाईट www.cgswc.cg.gov.in के Tender लिंक में देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है। निविदा प्रपत्र डाउन लोड कर फर्म के स्वयं के लेटर पैड पर निविदा प्रस्तुत की जा सकती है, परन्तु ऐसी स्थिति में निविदा प्रपत्र की कीमत रु0 1000.00 एवं अमानती राशि रु0 25000.00 की पृथक-पृथक डी0डी0 जमा करना अनिवार्य होगा।

प्रबंध संचालक